शमन मानचित्र निर्गत रजिस्टर क्रमांक- 109 पर दर्ज है।

वाराणसी विकास प्राधिकरण, वाराणसी

सेवा में,

श्री शिवपूजन सिंह व श्री राजेन्द्र पुत्र
स्व0 सोनू सिंह एवं श्री तेज बहादुर सिह
पुत्र स्व0 अवध नारायण सिंह, श्रीमती देवमुर्ता देवी
पत्नी स्व0 अवध नारायण सिंह बजरिये श्री अजीत श्रीवास्तव वगैरह
एन0आई0पी0 हाउसिंग क्रेडिट एण्ड डेवलपमेन्ट लिमिटेड,
आराजी सं0–एम0एस0 प्लाट नं0–44, 46, 47 व 49,
मौजा–गनेशपुर, परगना–देहात अमानत, तहसील–सदर,
वार्ड–नगवा, जिला–वाराणसी। मो0नं0–9415225116

पत्रांकः– 18 / 24 ग्रु0हा0 / शमन / वि0प्रा0 / विन्यास / 2024–25 दिनांकः– 28/09/24

विषयः– आराजी सं0–एम0एस0 प्लाट नं0–44, 46, 47 व 49, मौजा–गनेशपुर, परगना–देहात अमानत, तहसील–सदर, वार्ड–नगवा, जिला–वाराणसी पर प्रस्तुत ग्रुप हाउसिंग शमन मानचित्र के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। आप द्वारा रेस्टोरेन्ट प्रयोगार्थ शमन मानचित्र को उपाध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 02.09.2024 को निम्नलिखित शर्तो / प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत कर दिया गया है, जिसका अनुपालन आपको सुनिश्चित करना अनिवार्य है।

1. आप द्वारा प्रस्तुत शमन मानचित्र स्वीकृत तिथि से 05 वर्ष की अवधि तक मान्य होगा।
2. भवन पूर्ण होने के पश्चात पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। तत्पश्चात अध्यासन की कार्यवाही की जायेगी।
3. स्थल पर अभी EWS/LIG का निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता पूर्ण होने के पश्चात् पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन किया जायेगा।
4. स्थल पर 50 वृक्ष प्रति हेक्टेयर की दर से वृक्ष लगाना होगा।
5. स्थल पर ट्रंक सीवर लाईन उपलब्ध नहीं है। इसलिये S.T.P. स्थापित करना होगा।
6. रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य वाटर ग्राउण्ड विभाग की डिजाईन के अनुसार निर्माण कराना होगा।
7. भविष्य में कोई देयता निकलती है तो आप द्वारा भुगतान करना होगा।
8. 30 मीटर से अधिक ऊचाई के ब्लाकों में मैकेनिकल वेन्टिलेशन का पूर्णता से पूर्व प्राविधान करना होगा।
9. छत के 25 प्रतिशत भाग पर फोटो वोल्टाईक सोलर पैनल स्थापित करना होगा।
10. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी शर्तों का अनुपालन करना होगा।
11. पी0एन0जी0 गैस हेतु पाईप लाईन का प्राविधान करना होगा और उपलब्धता होने पर कनेक्शन लेना होगा।
12. कूड़ा संचयन की पर्याप्त व सुविधाजनक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।

13. भू–स्वामित्व सम्बन्धित, रास्ता सम्बन्धित, बंटवारा सम्बन्धित किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में शमन मानचित्र स्वतः अस्वीकार माना जायेगा, ऐसी दशा में इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी।

14. आपको E.C.B.C. 2019 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार भूखण्ड पर पूर्ण रूप से पालन करते हुये संयत्र स्थापित करना होगा।

15. RERA की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

16. यह मानचित्र भू–स्वामित्व से सम्बन्धित अभिलेख नहीं होगा और प्रस्तावक/पक्ष को भूमि का स्वत्वाधिकार प्रदान नहीं करेगा। आप द्वारा दाखिल स्वामित्व अभिलेख भविष्य में कभी भी फर्जी और असत्य पाये जाने की दशा में शमन मानचित्र की स्वीकृति निरस्त समझी जायेगी और यह समझा जायेगा कि इस सम्बन्ध में मानचित्र पर कोई स्वीकृति नहीं दी गयी है तथा मानचित्र स्वीकृत के आधार पर प्रस्तावक द्वारा किया गया कोई भी निर्माण पूर्णतया अवैध माना जायेगा और इस कृत्य के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होगें।

17. माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में निरीक्षण शुल्क में दी गई छूट शासन/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में लिये जाने वाले निर्णय के अधीन होगा। विभाग द्वारा इस शुल्क की मांग किये जाने पर आप द्वारा इसे अदा किया जायेगा।

18. आपको लेबर शुल्क सम्बन्धित विभाग में जमा कराकर पूर्णता से पूर्व अन्तिम अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत किया जायेगा।

भवदीय,

जोनल अधिकारी

D:/aman/Letter/Realiz Shaman manchitra letter 11